Fin 39
Service Tax - basic points on application and Implemetation
सेवा कर - अर्जी करने के और अमल में लाने के मुख्य आधार

किसी भी सेवा देनेवाले अथवा लेनेवाले को सेवा कर लागू होता है । आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 12AA अंतर्गत पंजीकरा किया है ऐसी संस्थाएँ और धर्मदाय सेवा देनेवाली संस्थाओं को सेवा कर कानून के सेक्शन 2(K) अंतर्गत सेवा कर माफ किया गया है ।

सेवा कर कानून का सेक्शन 2(K) क्या है ?
सेवा कर कानून 2(K) के मुताबिक ऐसी संस्थाओं को सेवा कर माफ है जो -

- सार्वजनिक स्वास्थ्य (HIV-AIDS) के संबंधी काम करनेवाली संस्था
- धार्मिक प्रगती का कार्य करनेवाली संस्था
- शिक्षा के बठौती का कार्य करनेवाली संस्था
- पर्यावरण संवर्धन का कार्य करनेवाली संस्था
- समाजोपयोगी सुविधा देनेवाली संस्था
- इन संस्थाओं को रुपये 10 लाख तक की सेवापर सेवाकर माफी है ।

अगर डोनेशन देते समय बदले में कुछ माँगा जाए या कोई शर्त रखी जाय तो सेवा कर में माफी नहीं दी जाती । जैसे की किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट को दान दिया है लेकिन जहाँ भी मिटिंग हो वहां कंपनी का लोगो दिखना चाहिये ऐसी शर्त पर निधी दिया है तो ये निधी /राशी धन पर सेवा कर लागू होगा। कानून में ये बदलाव 2012 से किया गया है । सी.एस.आर. कार्य के लिये अगर कोई कंपनी पैसा देती है और कंपनी को उसका किसी भी तरह का मुनाफा मिलता है या उनका विज्ञापन हो जाता है तो उस डोनेशन पर सेवा कर लागू होगा।

सेवा कर कानून के नियमों की पूर्ती करने का सही तरीका :

१. सेवा कर विभाग में पंजीकरण करना ।
२. इंटरनेट से अर्जी भर सकते है ।
३. 9 लाख से ज्यादा किमत की सेवा देनेवाला व्यक्ती / संस्था ये कानून के अंदर आता है ।
४. अगले महिने के पाच तारीख तक सेवा कर भर सकते है ।
५. हर महिने सेवा कर भरना पडता है । मार्च महिने में सेवा कर 31 मार्च को भरना जरूरी है ।
६. सेवा कर के रिटर्नस् साल में दो बार भरे जाते है । एक 25 ऑक्टोबर तक और दुसरे 25 एप्रिल तक।
७. पेमेंट करने में देरी हुई तो 13% व्याज लिया जाता है ।
८. हर इनव्हॉइस, बील या चलान पे सिरीयल नंबर, नाम, पता, पॅन नंबर और कौनसी सेवा दी गई इसकी जानकारी होनी चाहिये ।
९. सेवा के लिये दी गयी राशी पे 12.63% सेवा कर भरना जरूरी है । सेवा लेनेवाले से कर लेकर सरकारी खजाने में भरना अनिवार्य है । कर भरने के बाद ही रिटर्नस फाइल कर सकते है ।